

(उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियम, 1948 के नियम 86 का उपनियम (9) देखिये)
गैर रजिस्टर्ड व्यापारियों द्वारा अभ्यर्पित अप्रयुक्त प्रमाण-पत्रों का रजिस्टर।

| दिनांक | ऐसे व्यक्ति का नाम प्रमाण-पत्र | कुल संख्या | क्रम संख्या | दिनांक जब दिया गया हो जारी किया गया |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | तथा पता जो उसे अभ्यर्पित करे | से तक | | |

| | | | |
|---|---|--|---|
| रूप-पत्र 40 के रजिस्टर के में क्रमसंख्या, यह इंगित दिनांक करने के लिए कि उनके सामने इन्दराज किये गये नष्ट या के अभ्युक्ति | रूप-पत्रों को अभ्यर्पित करने का कारण | व्यापार कर अधिकारी / व्यापार कर अधिकारी श्रेणी (दो) के हस्ताक्षर | सम्बद्ध अधिकारी हस्ताक्षर तथा सहित अभ्यर्पित प्रमाण-पत्रों को निस्तारित करने ब्योरे सम्बन्धी |
| 7 | 8 | 9 | 10 |